झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

आदेश

आ० सं० – 04 / आ० – 03 – 1013 / 2016– 178 राँची / दिनांक : 22/11/22

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, तत्कालीन कनीय अभियंता (यांत्रिक), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची की सेवा विभागीय पत्रांक 498 दिनांक 05.02.2009 को परिवहन विभाग को सौंपी गई थी। परिवहन विभाग में मोटरयान निरीक्षक के रूप में प्रतिनियुक्ति के दौरान नोवामुण्डी, चाईबासा मार्ग पर स्थिति गितिलिपि चेक पोस्ट, चाईबासा में राजस्व वसूली हेतु अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अनाधिकृत लोगों के साथ मिल कर सरकारी राजस्व का गबन करने एवं अवैध वसूली के आरोप में श्री पाण्डेय के विरूद्ध निगरानी ब्यूरो, राँची द्वारा निगरानी थाना काण्ड संख्या–4 / 10 दिनांक–29.01.2010 धारा –403 / 406 / 408 / 409 / 414 / 467 / 477ए / 420 / 109 / 120बी० भा० द० वि० एवं धारा–13 (1) (सी०)(डी०) सह पठित धारा–13 (2) (डी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम–1988 के तहत् दर्ज करते हुए दिनांक 29.01.2010 को ही हिरासत में निगरानी विभाग द्वारा लिया गया।

2. हिरासत में लिए जाने के कारण विभागीय आदेश संख्या–72 दिनांक–24.04.2010 द्वारा सेवा संहिता के नियम–99 के तहत् श्री पाण्डेय को हिरासत में लिये जाने की तिथि (दिनांक–29.01.2010) से निलंबित किया गया। पुनः विभागीय आदेश संख्या–68 दिनांक–21.04.2010 एवं शुद्धि पत्र ज्ञापांक–1686 दिनांक–26.04.2010 द्वारा श्री पाण्डेय के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई।

3. प्रथम इतिला रिपोर्ट में श्री पाण्डेय के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने के स्थिति में सम्यक् विचारोपरान्त उनके विरूद्ध असैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–1930 के नियम–55 के तहत् विभागीय आदेश संख्या–149 दिनांक–06.09.2010 एवं आदेश संख्या–133 दिनांक–06.07.2011 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

4. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–01.04.2011 को श्री पाण्डेय को जमानत प्रदान की गई एवं दिनांक–02.04.2011 को कारा से मुक्त होने के पश्चात् श्री पाण्डेय द्वारा अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता यांत्रिक अंचल, राँची के कार्यालय में दिनांक–07.04.2011 के पूर्वाह्न में अपना योगदान समर्पित किया।

5. तत्पश्चात् जाँच संचालन पदाधिकारी द्वारा उक्त मामले में जाँचोपरान्त अपने पत्रांक–671 दिनांक–05.09.2011 द्वारा विभाग को जाँच प्रतिवदेन उपलब्ध कराया गया। जाँच संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री पाण्डेय के विरूद्ध अवैध वसूली एवं सरकारी राशि गबन करने के आरोप को प्रमाणित नहीं पाया गया। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर सक्षम प्राधिकार द्वारा सम्यक् समीक्षोपरान्त विभागीय आदेश संख्या–233 दिनांक–16.11.2011 द्वारा निम्न निर्णय लिये गये:–

i. जाँच संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की सक्षम प्राधिकारी द्वारा समीक्षा कर अलग से निर्णय (चूँकि मामला न्यायाधीन है) लिया जायेगा।

ii. श्री पाण्डेय को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया गया।

iii. निगरानी थाना काण्ड संख्या–4/10 दिनांक–29.01.2010 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के फलाफल पर मामले में आगे की कार्रवाई एवं निलंबन अवधि का वेतनादि के भुगतान पर निर्णय लिया जायेगा।

6. तदोपरान्त श्री पाण्डेय द्वारा दिनांक–13.09.2022 को माननीय विशेष न्यायालय निगरानी कोर्ट, चाईबासा द्वारा पारित आदेश की सत्यापित प्रति उपलब्ध करायी गयी एवं प्रतिवेदित किया गया कि माननीय न्यायालय द्वारा उन्हें केस संख्या–4/10 से बरी कर दिया गया है। उक्त न्यायादेश का Operative part निम्नवत् है:–

"From the above discussion, this court come to definite conclusion that prosecution has unable to prove its case beyond the reasonable doubts against the accused persons namely (1) Anil Gupta, (2) Shiv Khandait, (3) Satyendra Pandey, **(4) Manoj Kumar Pandey,** (5) Sachidanand Singh, (6) Diwakar Prasad Singh, (7) Vikash Anand@Vikash Pathak, (8) Radhe Shyam Jha, (9) Satyendra Singh.

Therefore they are hereby acquitted of the charges leveled against them under section 409/34, 477-A, 420/149, 408/34, 403/114, 414/109, 120-B, 467/109 of the IPC and section 13 (1) (d) r/w 13 (2) of The Prevention of Corruption Act. They are on bail. They are discharged from the liabilities of their bail bond."

7. उक्त न्यायादेश से यह स्पष्ट है कि माननीय न्यायालय द्वारा श्री पाण्डेय को निगरानी थाना काण्ड संख्या–4/10 दिनांक–29.01.2010 में आरोप मुक्त कर दिया गया है। साथ ही प्रस्तुत मामले में जाँच संचालन पदाधिकारी द्वारा भी लगाए गए आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया है। वर्णित परिप्रेक्ष्य में सम्पूर्ण तथ्यों पर सक्षम प्राधिकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त श्री मनोज कुमार पाण्डेय, तत्कालीन कनीय अभियंता (यांत्रिक), सम्प्रति प्रभारी सहायक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता यांत्रिक अवर प्रमण्डल, हटिया के विरूद्ध चल रही विभागीय कार्यवाही एवं निलंबन अवधि के संबंध में निम्न निर्णय लिया जाता है:–

i. **विभागीय आदेश संख्या–149 दिनांक–06.09.2010 एवं आदेश संख्या–133 दिनांक–06.07.2011 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही में श्री पाण्डेय को आरोप मुक्त किया जाता है।**

ii. **श्री पाण्डेय की निलंबन अवधि दिनांक–29.01.2010 से दिनांक–16.11.2011 को कर्त्तव्य अवधि माना जाता है।**

22/11/2022

(पशुपति नाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–04 / आ० – 03 – 1013 / 2016– 4711 राँची / दिनांक : 22/11/22

प्रतिलिपिः–सचिव के प्रधान आप्त सचिव / अभियंता प्रमुख कोषांग / सभी मुख्य अभियंता / सभी संयुक्त सचिव / सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित) / सभी उप सचिव / अवर सचिव, प्रशाखा–3, प्रशाखा–4 एवं 10 / सभी कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक सहित), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/11/22

(पशुपति नाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–04 / आ० – 03 – 1013 / 2016– 4711 राँची / दिनांक : 22/11/22

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, चाईबासा एवं डोरण्डा कोषागार / अवर सचिव, वित विभाग (वैयतिक दावा निर्धारण कोषांग), झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/11/22

(पशुपति नाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–04 / आ० – 03 – 1013 / 2016– 4711 राँची / दिनांक : 22/11/22

प्रतिलिपिः– श्री मनोज कुमार पाण्डेय, प्रभारी सहायक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता यांत्रिक अवर प्रमण्डल, हटिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/11/22

(पशुपति नाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–04 / आ० – 03 – 1013 / 2016– 4711 राँची / दिनांक : 22/11/22

प्रतिलिपिः–श्री नितिन कुमार, राज्य समन्वयक (IT,PMU) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग झारखण्ड, राँची को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/11/22

(पशुपति नाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव